झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

संकल्प

संकल्प संख्याः— 648 राँची, दिनांकः— 20-3-08

विषयः— शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव सम्पन्न कराने के क्रम में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं/दुर्घटनाओं से आकस्मिक मृत्यृ/अपंगता की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति एवं गंभीर रूप से घायल होने पर चिकित्सा पर हुए व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

शहरी स्थानीय निकायों को चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को लोकसभा/विधानसभा चुनाव के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मियों की भाँति निम्न रूप में अनुग्रह अनुदान/चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद् की दिनांक 18.03.08 की बैठक में मद संख्या—2 के रूप में स्वीकृत निर्णय निम्न प्रकार है —

(i) शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किसी चुनाव कर्मी/पुलिस कर्मी/सुरक्षा कर्मी की कर्तव्य के दौरान हिंसक घटना अथवा दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 10.00 लाख रू0 का अनुग्रह अनुदान मृतक के आश्रितों को दिया जाएगा । केन्द्रीय पुलिसकर्मियों की मृत्यु की स्थिति में 2.50 लाख का ही अनुग्रह अनुदान देय होगा, क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पुलिसकर्मियों को ऐसी घटना के लिए 7.50 लाख रू0 का अनुदान अलग से दिया जाता है ।

(ii) यह अनुग्रह अनुदान चुनाव कार्य के दौरान हिंसात्मक घटना/दुर्घटना के फलस्वरूप पूर्ण विकलांगता की स्थिति में भी देय होगा ।

(iii) चुनाव कार्य के दौरान हिंसात्मक घटना/दुर्घटना के फलस्वरूप आंशिक विकलांगता यथा एक या एक से अधिक अंगों की विकलांगता की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु (i) में वर्णित अनुग्रह अनुदान की 50 प्रतिशत की राशि देय होगी ।

(iv) सक्षम पदाधिकारी द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित कार्य पर लगाये गये सभी कर्मी उपरोक्त प्रावधान से आच्छादित होंगे यथा, पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी/ दण्डाधिकारी चौकीदार/ग्राम रक्षा दल के सदस्य/चालक/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस कर्मी/गृह रक्षक/केन्द्रीय सुरक्षा बल के सदस्य आदि ।

SLW

(v) अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित उपायुक्त–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अनुशंसा पर सचिव, नगर विकास विभाग के द्वारा दी जाएगी । विकलांगता के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा ।

(vi) शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के दरम्यान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को गंभीर रूप से घायल होने पर चिकित्सा पर हुए व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति भी सरकार द्वारा इस शर्त पर वहन किया जाएगा कि इसके लिए किसी दूसरे मद से समानान्तर रूप से यह चिकित्सा व्यय नहीं किया गया हो, तथा यह प्रतिपूर्ति भी सरकारी अस्पताल में कराये गये इलाज/चिकित्सा बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार ही किया जाएगा ।

(vii) जिन सरकारी सेवकों को उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाएगा उन्हें इस प्रकृति का कोई अन्य अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा, किन्तु इसके फलस्वरूप सरकारी सेवकों को अनुमान्य सामान्य सुविधायें बाधित नहीं होगी ।

(viii) इस व्यय में होने वाला व्यय "बजट शीर्ष 2217–शहरी विकास– उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय उपशीर्ष–0001–नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना–9070–शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव आयोजन हेतु संबंधित शीर्ष मद से विकलनीय होगा ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य क अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

S.K.Singh 20/3/08

(शैलेश कुमार सिंह)
सचिव,
नगर विकास विभाग।

ज्ञापांकः– 648 रॉंची दिनांकः– 20-3-08

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

S.K.Singh 20/3/08
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 648 रॉंची दिनांकः– 20-3-08

प्रतिलिपिः– सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

S.K.Singh 20/3/08
सरकार के सचिव।